

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहाय्य 8 लम्बा रोड 500 मुकाम हायड

पेमाराम बनाम श्री 21011114 वीर

किस्म मुकदमा रा. 8197 111,128 RMACT नं. 180/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/06/2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>खेताराम जायस</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 RMACT</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। बिप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>17/08/2021</u> को पेश हो।</p>	
17/08/2021	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। बिप्रार्थी/वादी के नोटिस तामिल शुद्ध प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बिप्रार्थी/वादी का वकालत तामिल अनुपस्थित। भीमान पीठ सौन अधिकारी डिग्री डार्फ में परलभ होने से मिशाल इल्लवा टोटल प्रमाण दिनांक - 07/12/2021 को पेश हो।</p>	
07/12/2021	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। बिप्रार्थी/वादी अनुपस्थित। भीमान पीठ सौन अधिकारी प्रमाण सौन जाँचो के संग अधिसूचना-2021 के मुद्दों के प्थान्य होने से मिशाल इल्लवा टोटल प्रमाण दिनांक - 30/03/2022 को पेश हो।</p>	

30/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण
बावजुद तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय समक्ष
तीन बार आवज कराई गई, तामिल आवज
5:45 PM पर कराई गई विप्रार्थीगण स्वयं
उन्ही मोर ले डोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं
हुआ लिडाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एडवोकेट
डार्मवली अमल के लाई जाली हो अतः वाले
बरात पत्रावली दिनांक- 23/05/2022 को फेर दी।

क्रमांक : वाद / 2022 /
प्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
विप्रावली अमल

23/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद
तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई,
प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं
विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी
एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे
बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए हैं
जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को
लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने
खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी
करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को
स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,
दाखिल दफ्तर हो।

उपस्थित अधिवक्ता
विप्रावली अमल

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 727
प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 23/5/2022
विप्रार्थीगण

1. पेमाराम पुत्र खीयाराम वगैरा 09,
जाति जाट, निवासी पीथोणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल पुनियों का तला,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. राणाराम पुत्र गोमदराम वगैरा 50,
जाति जाट, निवासी पीथोणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल पुनियों का तला,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 180 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - पीथाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल - पुनियों का तला, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 563, 631 रकबा क्रमशः 12.9985, 20.9384 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 728-732
प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का पुनियों का तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पेमाराम पुत्र खीयाराम वगैरा 09,
4. विप्रार्थी श्री राणाराम पुत्र गोमदराम वगैरा 50,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

जय
(जगदीश सिंह आशिया)
जिला उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक :

जय
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर